IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान समय में अवैध मदिरा का सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग्यता 'ाोधसार

तीर्थराज भारद्वाज

'ाोध छात्र विधि अध्ययन 'ााला

जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर (म.प्र.)

भारत में मदिरा के निर्माण एवं निर्यात की वजह से अरबों रुपये का राजस्व मिलता है। वर्तमान समय में 17—18 साल के लड़के और लड़कियां मदिरा का भरपूर सेवन कर रहे है। मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मगर कुछ गैर जिम्मेदार लोग किसी की सुनते नहीं है। नशे से मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग नशा करके घर पर आकर अपनी पत्नी एवं घर के अन्य सदस्यों से मार—पीट करते है। यह घिनौना कृत्य है। नशा करके सड़क पर गाड़ी चलाने से दुर्घटना होती है। अल्पवय में नशा करने से आगे चलकर जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे परिवार में अशांति का वातावरण रहता है। नशा करने वाले व्यक्ति के पास आर्थिक तंगी हो जाती है। नशे की लत के कारण व्यक्ति अपनी सम्पति को न"ट कर देता है, नशा करके समाज और कार्य स्थल पर अप्रिय स्थिति को पैदा करता है जिससे उसकी इज्जत पर आघात होता है।

नशा भारतीय समाज की एक विडम्बना है। निम्न स्तर के लोग अक्सर अपने दैनिक काम के पैसे मदिरा पीने में लगा देते हैं। अगर वह पैसे अपने बच्चो की शिक्षा में इस्तेमाल करें तो उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। दु:खद रूप से ऐसा कदापि नहीं होता। दो पल के सुख और मजे के लिए इंसान अपना सब कुछ गवाँ देता है। प्रेम सम्बन्धो में धोखा मिलने पर युवा और कई तरह के लोग नशे के लत में डूब जाते हैं। इसके दुष्परिणाम इंसान को ही झेलने पड़ते है।

''हमारा उद्देश्य समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के बारे में उपलब्ध अवधारणाओं व प्रस्थापनों का मूल्यांकन करना है। हम यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन अपूर्ण व उथला रहा है, ऐसा या तो भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं पर आंशिक ध्यान होने के कारण हुआ है अथवा विधिशास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त विश्लेषणात्मक संवर्गों (दंसलजपबंस बंजमहवतपमे) की कमियों के कारण हुआ है।''[1]

नशे की शुरुआत पहले मजे और मित्रों के साथ जश्न से होती है। धीरे–धोरे इंसान नशे की अन्ध जाल में फंसता चला जाता है। अंततः उससे कभी निकल नहीं पाता है। वह अपने जीवन के सारे लक्ष्य को भूलकर एक नशेड़ी जीवन की तरफ अग्रसर हो जाता है। नशे के कारण इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है और अपने परिवार से मानसिक और जज्बाती तौर पर कोसों दूर चला जाता है। जो लोग नशे की लत में पड़ जाते है, उन्हें लगता है की नशा करके उनके सारे दुखों पर पूर्णविराम लग जायेगा। लेकिन वास्तविक में यह सोच अत्यंत गलत है। लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए मदिरा का सहारा लेते हैं। जिसमे न उनका भला होता है न परिवार का और न समाज का, अत्यधिक मदिरा के सेवन से इंसान का लिवर खराब हो सकता है। जिन्दगी में मनुष्य को खुशियां और ज्ञान बाँटना चाहिए न की नशा। हेरोइन और कई तरह के मदिरा इंसान को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कंगाल बना देता है। अभी कई तरह के नशा मुक्ति केन्द्र है जो नशे से पीड़ित लोगों की चिकित्सा करते है। कई लोग इन नशा मुक्ति केन्द्र में आकर नशे की लत का त्याग कर चुके है जो काफी अच्छी बात है। डॉक्टर्स मरीज को नशा जैसे मदिरा और सिगरेट से आजीवन दूर रहने की सलाह देते हैं। लागों को अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि वह नशे जैसी चीजों से बाहर निकलकर अपने लिए और अपनों के लिए एक नए भविष्य का निर्माण कर सकेगें। भारत सरकार ने नशा मुक्ति से राहत पाने के लिए कई नशा मुक्ति हेतु अभियान चलाये है एवं कई हेल्पलाईन नम्बर जारी किये है। जो व्यक्ति अवैध रूप से नशे की तस्करी या नशीले पदार्थ बेचते हुए पाया गया उसे जेल हो सकती है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। जिन्दगी सिगरेट के धुएं से नहीं बल्कि अच्छे सुविचारों, सुशिक्षा और स्व–नियंत्रण से चलती है। नशा किसी भी मनुष्य को जिन्दगी को बर्बाद करने में सक्षम है। मनुष्य को खुद पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आजाद भारत को नशे की जंजीरें बाँध नहीं सकती है। नशा मुक्ति के कई काउंसलिंग सेंटर है जो नशे की लत छुड़वाने में प्रसंशनीय कार्य कर रहे हैं। जो जिन्दगी से हारकर नशे की लत में पड़ने वाले इंसान को जिन्दगी की खूबसूरती से अवगत करवाते है। उन्हें यह समझाते है कि जिन्दगी के दुखों एवं परेशानियों से भागकर कुछ हासिल नहीं होता है। जिन्दगी की चुनौतियों से भागकर नशे जैसी चीजों का सहारा लेने वाला इंसान

किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। देश में खुशहाली लाने के लिए नशे पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

''मादक मदिरा तथा मादक औषधियों के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण एवं कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित करते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 पारित किया गया तथा अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति और उसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विषयों पर अधिसूचनाएं जारी कर नियम बनाये गये हैं।''[2]

युवा पीढ़ी में जागरूकता अत्यंत अनिवार्य है तभी देश प्रगतिशील होगा। देश और देशवाशियों के हित के लिए नशे को जड़ से उखाड़ना होगा तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा।

'मदिरा' से अभिप्रेत है मादक मदिरा और उसके अन्तर्गत द्राक्षिरा–सार (स्पिरिट ऑफ वाइन), स्पिरिट, 'ाराब, ताड़ी, बीयर, ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हो, या जिनमें अल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मदिरा घोि"ात करे, आता है।

मदिरा, सुरा या मदिरा अल्कोहलीय पेय पदार्थ है। रम, विस्की, चूलइया, महुआ, ब्रांडो, जीन, बीयर, हंड़िया, आदि सभी एक है क्योंकि सभी में अल्कोहल होता है। हाँ, इनमें एलकोहल की मात्रा और नशा लाने कि अपेक्षित क्षमता अलग–अलग जरूर होती है परन्तु सभी को हम मदिरा ही कहते है। कभी–कभी लोग हड़िया या बीयर को मदिरा से अलग समझते हैं जो कि बिलकुल गलत ह। दोनों में एल्कोहल तो होता ही है।

''मदिरा के विनिर्माण के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक प्रक्रिया चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम आती है, जिसके द्वारा कोई भी मादक द्रव्य पूर्णतः या आंशिक तौर पर उत्पन्न या तैयार किया जाता हो, और उसके अन्तर्गत पुनः आसवन करने तथा मदिरा का परिशोधन करने, सुस्वादु बनाने, सम्मिश्रण करने या उसे रंग देने की प्रत्येक प्रक्रिया भी आती है।''[3]

मदिरा निर्माण कई प्रकार से किया जाता है सभी प्रकार की मदिरा बनाने में किण्वन एवं आसवन की विधि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रसायनिक क्रियाओं के माध्यम स निर्माण सम्पादित किया जाता है।

भारत में डेढ़ करोड़ से ज्यादा बच्चे नशे के आदी हैं। इनमें कई नशे तो ऐसे हैं जिनके आमजन ने नाम तक नहीं सुने हैं। यह नशे बच्चों को एक अँधेरी दुनिया में धकल रहे हैं। देश में तमाम विधि, नियम, विनियम हैं और सरकारें भी नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि बच्चे नशीले पदार्थों के उपयोगकर्ता के रूप मं सामने आ रहे हैं, तो यह स्थिति निश्चित ही चिंताजनक है।

मध्यप्रदेश में पिछले कुछ समय में जहरीली मदिरा का मुद्दा छाया रहा। इंदौर, मंदसार, भिण्ड, मुरैना आदि जिलों में दर्जनों लोग काल के गाल में समा गये। प्रशासन ने 'ाक्ति दिखाई तो गांव—गांव में अवैध मदिरा पाई गयी। इन घटनाओं के बाद प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने नशामुक्ति अभियान की घोषणा कर दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध मदिरा को बंद करने के लिए कदम उठाने की बात की और एक कदम आगे जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम से नशा मुक्ति अभियान का आगाज ही कर दिया। उनका मानना है कि यह प्रवृत्ति मदिराबंदी से नहीं बल्कि अभियान से ही दूर हो सकती है! नेतृत्व नशामुक्ति की बात तो करता है, लेकिन मदिराबंदी की नहीं, क्योंकि इससे भारी राजस्व की हानि हो सकती है। सरकार चाहे किसी की हो, नशे का पेड़ खूब फलता—फूलता है। इसकी टहनियां भर काटी जाती हैं जड़ नहीं। कोरोना काल में तो हमने ठेकों पर महिला पुलिसकर्मियों की दुकान सँभालते हुए तस्वीरों को देखा है। मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में तो खैर मदिराबंदी लागू होने के बाद भी कितना नशा कम हुआ, यह वहीं के लोग बेहतर बता सकते हैं। नशे के सम्बन्ध में हाल ही में राज्यसभा में आँकड़े पेश किए गए हैं। यह स्थिति चिंता मं डाल देने वाली है। सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार को निराश्रित बच्चों में नशे की लत की जानकारी है और यदि है तो उसके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि देश में तकरीबन डेढ़ करोड़ बच्चे नशे के उपयोगकर्ता हैं।

ग्वालियर जिले में अवैध मदिरा का निर्माण काफी तेजी से पनप रहा है। कुछ प्राचीन आदिवासी जनजातियाँ अवैध मदिरा निर्माण करती हैं। उनमें नट, कंजर, सहरिया, एवं पारदी ये सभी जनजातियाँ अवैध तरीके से ग्वालियर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अवैध मदिरा बनाते है। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में ही कंजर एवं कबूतरा जनजातियाँ अवैध मदिरा का निर्माण करती हैं। ग्वालियर जिले के विभिन्न तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से परिवार के बच्चे मदिरा का सेवन करते हैं। जिससे उनका स्वास्थ्य और चरित्र दिन पर दिन खराब हो रहा है। मदिरा पीने से धन एवं धर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं तथा समाज में मान, प्रतिष्ठा एवं गरिमा गिर जाती है।

‘‘ग्वालियर में अवैध शराब की तस्करी, कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। 24 घंटे में आबकारी एवं पुलिस ने 39 अवैध शराब के मामले पकड़े हैं। पुलिस ने चुन–चुन कर नशे के सौदागरों को पकड़ा और शराब जब्त की है। इसे शराब के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 39 शराब के मामलों में लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है। साथ ही 40 से ज्यादा आरोपी भी पकड़े गए हैं। तत्कालीन पुलिस कप्तान अमित सांघी का कहना है कि शराब माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लगातार पुलिस इसी एक्शन मोड में धरपकड़ का अभियान चलाएगी।’’[4]

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित सांघी ने बताया कि जिले में अवैध शराब की लगातार सूचनाएं आ रही। शहर तो शहर देहात और हाइवे किनारे ढाबों पर भी अवैध शराब का कारोबार फल फूलने की सूचनाएं मिल रहीं थीं। जिस पर बीते रोज सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे। जिस पर सभी थानों की पुलिस ने कार्रवाई कर 39 अवैध शराब के मामले पकड़े गए हैं ‘‘जिनमें 40 से ज्यादा शराब तस्करों को पकड़ा है और पकड़े गए तस्करों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि वह अवैध शराब कहां से लेकर आते थे और कहां–कहां पर खपाते थे। पुलिस के इस तरह के तेवर देख शराब माफिया दहशत में आ गए हैं। कई शराब तस्कर सरगना फिलहाल शहर से बाहर निकल गए हैं।’’[5]

मदिरा की लत एक गंभीर मनोवैज्ञानिक बीमारी है। मदिरा न मिलने पर बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के अपराध करते है, झूठ बोलते हैं और समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ग्वालियर जिले में वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन मदिरा का सेवन बढ़ रहा है। ‘‘अधिक से अधिक लोग शादियों, जन्मदिन एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक, मांगलिक कार्यों में मदिरा पीकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं।’’[6] बहुत से लोग अपने प्रियजन की मृत्यु होने पर मदिरा के आदी हो जाते हैं। जैसे श्राद्ध एवं तेरहवीं के अवसर पर बहुत से लोग मदिरा का सेवन करते हैं।

संदर्भ सूची

1ण सिंह योगेन्द्र, भारतीय परम्परा का आधुनिकीरण, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, संस्करण 2011, पृ. 19

2ण पाण्डेय प्रकाश, मध्यप्रदेश आबकारी विधि संग्रह, वाधवा इंटरनेशल नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 1

3ण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 2(13) (बेयर एक्ट)

4ण पाण्डेय प्रकाश, मध्यप्रदेश आबकारी विधि संग्रह, वाधवा इंटरनेशल नई दिल्ली, संस्करण 2016, पृ. 4

5ण दैनिक भास्कर ग्वालियर, रविवार, पृ. 4

6ण दैनिक भास्कर 18 जनवरी 2021 ग्वालियर संस्करण।